न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या-02/2019-20

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

रमेश मंडल एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
26/3/21	यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक सं0 734/हि0शा0, दिनांक 04.03.2019) के आलोक में जोगबनी थाना काण्ड संख्या-214/17, दिनांक 13.12.2017 धारा-30(a) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल टी0भी0एस0 विक्टर निबंधन सं0-BR38N-4676, ईंजन संख्या-CF1GH1450 446, चेसीस संख्या-MD625GF13H1G50400 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया को वाहन मालिक का नाम व पता उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया द्वारा वाहन मालिक का नाम एवं पता उपलब्ध कराने पर वाहन मालिक श्री मुकेश मंडल, पिता-राजकिशोर मंडल, ग्राम-झोबरन, पो0-पिपरा, जिला-अररिया को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सूचनोपरांत कई तिथियों से इस न्यायालय में अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इस वाद में कोई रूचि नहीं है। तत्पश्चात् वाद को आदेश पर रखा गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 13.12.2017 को समय 9:00 बजे समवाय मुख्यालय कुशमाहा से ADP पार्टी कमान्डर HC/GD ललन कुमार साह नं0-0491655 ई0 समवाय एस0एस0बी0 56 वीं बटालियन बथनाहा (UID No.-11270415), HC/GD No. 060163947 पुर्णानन्दू (UID No. 14070547) तथा UID No.-050410611 सन्तोष कुमार ठाकुर (UID No.-14160315) बाहर डयूटी के लिए निकले। डयूटी के दौरान लगभग 09:30 बजे कुलाआ चौक पर पहुँचे तब तक चौक पर उत्तर की तरफ से बाहर पिलर सं0-177/1(65) की तरफ से एक मोटर साईकिल जा रही थी, जिस पर विपक्षी बैठे थे। मोटर साईकिल को पार्टी बल द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो विपक्षी पार्टी बल को देखकर मोटर साईकिल का रफ्तार तेज कर दी, जिसके फलस्वरूप मोटर साईकिल का संतुलन बिगड़ गया और विपक्षी गिर गये। तब तक उस बाईक से एक व्यक्ति भाग निकला। उसी दौरान दो व्यक्ति तथा एक बाईक को पार्टी बल द्वारा पकड़ा गयां बाईक का नंबर प्लेट पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। दो स्वतंत्र गवाहों 1. विजय मंडल, पिता-चूलाई मंडल, वार्ड नं0 04, झोखरण, सा0-पीपरा, जिला-अररिया 2. सम्भू मंडल, पिता-रामदेव मंडल, वार्ड नं0-4, झोखरण, सा0-पीपरा, जिला-अररिया के समक्ष दोनों व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आपके विपक्षी के जैकेट के अन्दर बनियान के नीचे 40 बोतल नेपाली देशी शराब जो नेपाली ब्रांड का उमंगा था। प्रत्येक बोतल 300 एम0एल0 का था, जिस पर Blanded Bottled by Golden Globi Liquor 1200 ml उमंगा लिखा हुआ था तथा एक बाईक जिसपर टी0भी0एस0 विक्टर लिखा हुआ था, जिसका रंगा काला तथा लाल था। नेपाली देशी शराब एवं उक्त मोटर साईकिल को जब्ती सूची बनाकर विधिवत जब्त किया गया तथा पकड़ाये गये व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है।	

पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त मोटर साईकिल टी0भी0एस0 विक्टर निबंधन सं0-BR38N-4676, ईंजन संख्या-CF1GH1450446, चेसीस संख्या-MD625GF13H1G50400 का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार जोगबनी थाना काण्ड संख्या-214/17, दिनांक 13.12.2017 में जब्त **मोटर साईकिल टी0भी0एस0 विक्टर निबंधन सं0-BR38N-4676, ईंजन संख्या-CF1GH1450446, चेसीस संख्या-MD625GF13H1G50400 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात**(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

26/3/2021
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक ......18 (विधि)......, अररिया, दिनांक ..26..../...03..../2021

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
अररिया